

# भारत का सर्वोच्च न्यायालय

## सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 22.10.2019

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी वादकारी / व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय नियमावली 2013 के किसी प्रावधान को समझने में कोई असुविधा/ कठिनाई होती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से आवश्यक विधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

आदेश से,

(दीपक जैन)

रजिस्ट्रार (जे-II)